झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस कैंपस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक :– वि0प्रा0/कौ0–24/2013/11/योजना /राँची, दिनांक – 26.05.2023

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– देवघर में Mini Planetarium (तारामंडल) (08 mtr. Dia Dome) के निर्माण हेतु वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर Creative Museum Designers (CMD), National Council On Science Museums (NCSM), Kolkata का चयनोपरान्त तारामंडल निर्माण कार्य के लिए लागत रू0 8,48,65,000/–(आठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार) +Applicable taxes की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (तत्कालीन विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग), झारखण्ड सरकार का विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1786 दिनांक 24.07.2015 द्वारा देवघर में Mini Planetarium (तारामंडल) (08 mtr. Dia Dome) के निर्माण का निर्णय लेते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत नियम 235 को शिथिल कर Creative Museum Designers (CMD), National Council On Science Museums (NCSM), Kolkata द्वारा मनोनयन के आधार पर कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 08.07.2015 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या 03 के रूप में सम्मिलित करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्पश्चात Creative Museum Designers (CMD), National Council On Science Museums (NCSM), Kolkata एवं झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के बीच दिनांक 15.12.2015 को एकरारनामा हस्ताक्षरित हुआ। एकरारनामा के अनुसार देवघर में Mini Planetarium (तारामंडल) (08 mtr. Dia Dome) के निर्माण संबंधी परियोजना लागत कुल रू0 8,48,65,000/–(आठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार)+Applicable taxes है।

अतः देवघर में Mini Planetarium (तारामंडल) (08 mtr. Dia Dome) के निर्माण हेतु कुल रू0 8,48,65,000/–(आठ करोड़ अड़तालीस लाख पैंसठ हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस राशि के अलावे नियमानुसार Applicable taxes का भी भुगतान किया जायेगा।

2. उक्त योजना हेतु राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघुशीर्ष लधुशीर्ष–004–अनुसंधान/796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना उपशीर्ष–41–झारखंड कौंसिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, रॉची, सहायता अनुदान विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) इकाई से उपलब्ध कराई गयी राशि जो झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् के पी0एल0 खाता में संचित है, में से राशि की निकासी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा की जाएगी।
3. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2800 दिनांक 15.12.2004 के आलोक में निर्माण कार्य हेतु वांछित राशि CMD, NCSM, Kolkata को अग्रिम के रूप में प्रदान किया जाएगा।
4. व्यय के विरूद्ध प्राप्त विपत्र के आधार पर DC विपत्र महालेखाकार कार्यालय को जमा करने की पूर्ण जिम्मेवारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् की होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिए अन्य स्त्रोंतो से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

6. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अतंर्गत होगा।
7. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन अनिवार्य होगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि की भुगतान बैंक अकाउंट/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जाएगी।
11. वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष–8448 से राशि की निकासी की जाएगी।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
13. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार महालेखाकार, झारखण्ड तथा वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
14. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री को अनुमोदन प्राप्त है।
15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. राशि की विमुक्ति तभी की जाएगी जब भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के Creative Museum Designers, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) द्वारा मांग की जाएगी।
17. व्यय विवरणी टी0 वी0 नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिक सुनिश्चित करेगें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– वि0प्रा0/कौ0–24/2013 /राँची, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– वि0प्रा0/कौ0–24/2013/11/योजना /राँची, दिनांक – 26.05.2023

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/Creative Museum Designers (CMD), National Council On Science Museums (NCSM), Kolkata/लेखा शाखा/निर्गत शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.5.23

सरकार के सचिव